भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग III – खंड 4
प्राधिकार से प्रकाशित
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना
हैदराबाद, 13 मार्च, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/2/92/2015 – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण[1] अधिनियम, 1999 की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे ।

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे तथा ऐसी तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 का अधिक्रमण करेंगे।

परिभाषाएँ

2. इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) `अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) `प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण[2] अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) `परिवार' से एक इकाई अभिप्रेत है जिसमें पति, पत्नी, आश्रित माता-पिता और अधिकतम तीन बच्चे हों;

बशर्ते कि जहाँ बच्चों की संख्या तीन से अधिक हो, वहाँ उपर्युक्तानुसार परिवार की संरचना का अर्थ लगाने के लिए प्रथम तीन बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा;

आगे यह भी शर्त होगी कि बीमाकर्ता `परिवार' की परिभाषा परिवार की संरचना के लिए निर्धारित उपर्युक्त मानदंडों के अंदर व्यक्ति अथवा समूह की अपेक्षाओं के अनुसार दे सकता है;

(घ) `साधारण सूक्ष्म -बीमा उत्पाद' से इन विनियमों की अनुसूची I में बताई गई शर्तों के अनुसार, वैयक्तिक अथवा सामूहिक आधार पर कोई स्वास्थ्य बीमा संविदा, कोई संपत्ति, जैसे झोपड़ी, पशुधन अथवा साधनों या उपकरणों को समाविष्ट करनेवाली कोई संविदा अथवा कोई वैयक्तिक दुर्घटना संविदा अभिप्रेत है;

(i): साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा (7) में वर्गीकृत रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियाँ भी प्रति एमएसएम उद्योग 10,000 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में अर्हता-प्राप्त होंगी।

(ङ) `जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पाद' से इन विनियमों की अनुसूची II में बताई गई शर्तों के अनुसार अभिकल्पित जीवन बीमा उत्पाद अभिप्रेत है;

1 और 2 - आईआरडीएआई शुद्धिपत्र अधिसूचना आईआरडीए/विनियम/6/96/2015 दिनांक 19 मई, 2015 द्वारा 'बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' से पहले "भारतीय" शब्द हटाया गया।

(च) `सूक्ष्म -बीमा एजेंट' से निम्नलिखित संस्थाएँ अथवा व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें इन विनियमों के अनुसार सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किया गया हो

(i) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ);

(ii) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी);

(iii) लघु वित्त संस्था (एमएफआई);

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) – सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई);

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के अनुसार पात्र होने के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस-प्राप्त जिला सहकारी बैंक;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के अनुसार पात्र होने के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा (3) के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के अनुसार पात्र होने के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस-प्राप्त शहरी सहकारी बैंक;

(viii) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पीएसीएस);

(ix) किसी भी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत अन्य सहकारी समितियाँ;

(x) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधि।

स्पष्टीकरण—इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, --

(I) विनियम 2 (च)(i) में उल्लिखित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से किसी भी कानून के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन लाभनिरपेक्ष उद्देश्य के साथ पंजीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन अभिप्रेत है जो अपने ज्ञापन, नियमों, उप-विधियों अथवा विनियमों, जैसी स्थिति हो, में दी गई रूपरेखा के अनुसार अच्छे कार्य-निष्पादन रिकार्ड, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त लक्ष्यों और उद्देश्यों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सहित, मुख्य धारा से हटे हुए समूहों के साथ कम से कम तीन वर्ष से कार्य करता रहा हो तथा प्रतिबद्ध लोगों की संबद्धता को दर्शाता हो।

(II) विनियम 2 (च)(ii) में उल्लिखित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से कोई भी अनौपचारिक समूह अभिप्रेत है जिसमें दस या उससे अधिक व्यक्ति हों तथा जो अपने ज्ञापन, नियमों, उप-विधियों अथवा विनियमों, जैसी स्थिति हो, में दी गई रूपरेखा के अनुसार अच्छे कार्य-निष्पादन रिकार्ड, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त लक्ष्यों और उद्देश्यों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सहित, मुख्य धारा से हटे हुए समूहों के साथ कम से कम तीन वर्ष से कार्य करता रहा हो तथा प्रतिबद्ध लोगों की संबद्धता को दर्शाता हो।

(III) विनियम 2 (च)(iii) में उल्लिखित लघु वित्त संस्था से अन्य बातों के साथ-साथ अपने सदस्यों को ऋण/वित्त मंजूर करने के लिए सोसाइटियों अथवा सहकारी समितियों, जैसी स्थिति हो, के पंजीकरण के लिए विद्यमान किसी भी कानून के अधीन पंजीकृत कोई भी संस्था अथवा प्रतिष्ठान अथवा संघ अभिप्रेत है;

(IV) उपर्युक्त विनियम 2 (च) के (i) से (x) तक में उल्लिखित संस्थाएँ जो कॉरपोरेट एजेंटों के रूप में अथवा बीमा दलालों के रूप में बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने में पहले से ही रखी गई हैं अथवा रिफ़रल कंपनी के रूप में नियुक्त हैं, सूक्ष्म - बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

(V) जहाँ उपर्युक्त विनियम 2 (च)(x) पर उल्लिखित व्यवसाय प्रतिनिधि व्यक्ति हैं तथा बीमा एजेंटों के रूप में बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने में पहले से ही रखे गये हैं अथवा कॉरपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, सूक्ष्म बीमा एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा बीमा दलालों के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त हैं, वहाँ वे सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

(छ) `सूक्ष्म -बीमा पॉलिसी' से ऐसी योजना के अधीन बेची गई बीमा पॉलिसी अभिप्रेत है जो सूक्ष्म -बीमा उत्पाद के रूप में प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित की गई हो;

(1) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म बीमा वह बीमा है जो इन विनियमों के अधीन अनुमोदित सूक्ष्म बीमा उत्पादों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

(ज) `सूक्ष्म -बीमा उत्पाद' में साधारण सूक्ष्म -बीमा उत्पाद अथवा जीवन बीमा उत्पाद अथवा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, प्रस्ताव प्रपत्र और उससे संबंधित समस्त विपणन सामग्री शामिल है।

(झ) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

<u>जीवन बीमाकर्ता और साधारण बीमाकर्ता के बीच सहबद्धता</u>

3.(1) जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पादों एवं साधारण सूक्ष्म -बीमा उत्पादों का प्रस्ताव कर सकता है, जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है:

बशर्ते कि जहाँ जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता किसी साधारण सूक्ष्म -बीमा उत्पाद का प्रस्ताव करता है, वहाँ इस प्रयोजन के लिए साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले किसी बीमाकर्ता के साथ उसकी सहबद्धता होगी, तथा अधिनियम की धारा 64 वीबी के उपबंधों के अधीन, उक्त साधारण सूक्ष्म -बीमा उत्पाद के लिए लगाया जानेवाला प्रीमियम जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा भावी ग्राहक (प्रस्तावक) से प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सूक्ष्म -बीमा उत्पादों की किसी भी वितरक संस्था के माध्यम से वसूल किया जा सकता है तथा साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को प्रेषित किया जा सकता है:

आगे यह भी शर्त होगी कि साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अथवा सूक्ष्म -बीमा उत्पादों की वितरक संस्थाओं, जैसी स्थिति हो, द्वारा उक्त प्रथम नियम में उल्लिखित सहबद्धता में विनिर्दिष्ट रूप में दावा साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को अग्रेषित किया जाएगा तथा दावे के शीघ्र निपटान के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता साधारण सूक्ष्म -बीमा उत्पादों एवं जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पादों का प्रस्ताव कर सकता है, जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है:

बशर्ते कि जहाँ साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता किसी जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पाद का प्रस्ताव करता है, वहाँ इस प्रयोजन के लिए जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले किसी बीमाकर्ता के साथ उसकी सहबद्धता होगी, तथा अधिनियम की धारा 64 वीबी के उपबंधों के अधीन, उक्त जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पाद के लिए लगाया जानेवाला प्रीमियम साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा भावी ग्राहक (प्रस्तावक) से प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सूक्ष्म -बीमा उत्पादों की किसी भी वितरक संस्था के माध्यम से वसूल किया जा सकता है तथा जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को प्रेषित किया जा सकता है:

आगे यह भी शर्त होगी कि जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अथवा सूक्ष्म -बीमा उत्पादों की वितरक संस्थाओं, जैसी स्थिति हो, द्वारा उक्त प्रथम नियम में उल्लिखित सहबद्धता में विनिर्दिष्ट रूप में दावा जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को अग्रेषित किया जाएगा तथा दावे के शीघ्र निपटान के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए साधारण बीमाकर्ता में स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल है।

<u>सूक्ष्म -बीमा उत्पादों का वितरण</u>

4(1) वैयक्तिक अथवा कारपोरेट एजेंटों के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाये गये संबंधित विनियमों के साथ पठित अधिनियम के अधीन पंजीकृत/नियुक्त बीमा एजेंट अथवा कारपोरेट एजेंट अथवा दलाल, अथवा बीमा दलालों, जैसी स्थिति हो, तथा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए अनुमतिप्राप्त ऐसे अन्य बीमा मध्यवर्तियों के अतिरिक्त, सूक्ष्म -बीमा उत्पादों का वितरण सूक्ष्म -बीमा एजेंटों के माध्यम से किया जा सकता है:

बशर्ते कि सूक्ष्म -बीमा एजेंट सूक्ष्म -बीमा उत्पाद को छोड़कर किसी अन्य बीमा उत्पाद का वितरण नहीं करेगा।

(2) विनियम 2(घ)(i) में उल्लिखित साधारण सूक्ष्म -बीमा उत्पादों का वितरण करने के प्रयोजन के लिए;

(क) साधारण बीमा कंपनी के पास सूक्ष्म उद्यमों अथवा लघु उद्यमों अथवा मध्यम उद्यमों में से किसी एक क्षेत्र के लिए अथवा इन सभी तीनों क्षेत्रों अथवा दो क्षेत्रों के किसी संयोजन के लिए सूक्ष्म -बीमा एजेंट की नियुक्ति करने का विकल्प है

(ख) साधारण बीमा कंपनी के पास व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु सूक्ष्म -बीमा एजेंटों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अथवा उनके किसी संयोजन के लिए अथवा साधारण बीमा व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं के लिए करने का विकल्प है।

(ग) साधारण बीमा कंपनी के पास विनिर्माण अथवा सेवा अथवा दोनों क्षेत्रों में इन संयोजनों में सूक्ष्म -बीमा एजेंटों की नियुक्ति करने का विकल्प है।

सूक्ष्म -बीमा एजेंटों की नियुक्ति

5(1) सूक्ष्म -बीमा एजेंट की नियुक्ति बीमाकर्ता द्वारा एक करार विलेख करते हुए की जाएगी जिसमें दोनों सूक्ष्म -बीमा एजेंट और बीमाकर्ता के कर्तव्यों और दायित्यों सहित ऐसी नियुक्ति की शर्तें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएँगी:

(2) सूक्ष्म -बीमा एजेंट एक जीवन बीमा कंपनी और एक साधारण बीमा कंपनी के साथ कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म -बीमा एजेंट भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ तथा प्राधिकरण के पास पंजीकृत किसी एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ भी कार्य कर सकता है।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित करार विलेख में निम्नलिखित एक या उससे अधिक अतिरिक्त कार्य करने के लिए सूक्ष्म -बीमा एजेंट को विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाएगा, अर्थात् :
(क) प्रस्ताव फार्मों का संग्रहण;
(ख) प्रस्तावक से स्व-घोषणा का संग्रहण कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है;
(ग) प्रीमियम का संग्रहण और विप्रेषण।

(i) जहाँ प्रीमियमों का संग्रहण और विप्रेषण करने के लिए सूक्ष्म -बीमा एजेंटों को प्राधिकृत किया जाता है, वहाँ प्रीमियमों का संग्रहण करने पर प्राप्ति-सूचना देना उनके लिए बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्य कर दिया जाएगा तथा प्रत्येक बीमाकर्ता ऐसी क्रियाविधियाँ लागू करेगा जिनसे सूक्ष्म -बीमा एजेंट ऐसी प्राप्ति-सूचनाएँ जारी कर सकें।

(ii) सूक्ष्म -बीमा एजेंटों द्वारा जारी की गई प्रीमियमों की ऐसी प्राप्ति-सूचनाओँ के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी हैं।
(घ) पॉलिसी दस्तावेजों का वितरण;
(ङ) पॉलिसीधारक के नाम, लिंग, आयु, पता, नामितियों संबंधी विवरण तथा अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर सहित, बीमाकृत सभी व्यक्तियों और सूक्ष्म -बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित उनके आश्रितों के रजिस्टर का अनुरक्षण;
(च) दावों के निपटान में सहायता;
(छ) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया जानेवाला नामांकन सुनिश्चित करना;
(ज) पॉलिसी के संचालन संबंधी कोई भी सेवा।

(4) सूक्ष्म -बीमा एजेंट अथवा बीमाकर्ता के पास उप-विनियम 5(1) में उल्लिखित करार को, करार को समाप्त करने के इच्छुक पक्षकार द्वारा तीन महीने की नोटिस देने के बाद समाप्त करने का विकल्प होगा।
बशर्ते कि उस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा ऐसी किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ ऐसी समाप्ति सूक्ष्म -बीमा एजेंट द्वारा किये गये किसी कदाचार अथवा अनुशासनहीनता अथवा धोखाधड़ी के कारण हो।

(1) कोई भी बीमाकर्ता ऐसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था जिसकी सूक्ष्म -बीमा एजेंसी धोखाधड़ी / कदाचार को छोड़कर किसी अन्य कारण से समाप्त की गई हो, को पिछले बीमाकर्ता द्वारा उपर्युक्त

करार के समापन की तारीख से 3 महीने समाप्त होने के बाद ही नियुक्त कर सकता है तथा विनियम (5)(1) के उपबंधों के अनुसार करार विलेख कर सकता है। कोई भी बीमाकर्ता ऐसे सूक्ष्म-बीमा एजेंट, जिसकी एजेंसी धोखाधड़ी अथवा कदाचार के कारण समाप्त की गई हो, को तब तक पुनः नियुक्त नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यक्ति / संस्था को आरोपों से मुक्त नहीं किया जाता।

(2) किसी सूक्ष्म -बीमा एजेंट की नियुक्ति के समापन की स्थिति में सेवासमाप्त सूक्ष्म -बीमा एजेंट की व्यपगत सूक्ष्म -बीमा पॉलिसियाँ उसी बीमाकर्ता के किसी अन्य सेवारत सूक्ष्म -बीमा एजेंट को यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि आबंटन का उद्देश्य सूक्ष्म -बीमा पॉलिसीधारकों के लिए पॉलिसी संबंधी सेवा को सुरक्षित रखना और उन्हें प्रदान करना है, ऐसे सेवारत सूक्ष्म -बीमा एजेंट की पूर्व-सहमति प्राप्त करने के बाद आबंटित की जा सकती हैं। सूक्ष्म -बीमा एजेंट, जिसे ऐसी व्यपगत सूक्ष्म -बीमा पॉलिसियाँ आबंटित की जाती हैं, संबंधित सूक्ष्म -बीमा उत्पाद की फाइल एण्ड यूज़ के अनुसार पारिश्रमिक / कमीशन के लिए हकदार है। पारिश्रमिक / कमीशन केवल सूक्ष्म -बीमा प्रीमियम प्राप्त होने के बाद ही देय होगा।

(5) प्रत्येक बीमाकर्ता सूक्ष्म -बीमा एजेंट को नियुक्त करने से पहले उसकी प्रतिष्ठा, पिछले रिकार्ड तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए और पॉलिसीधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की क्षमता के संबंध में समुचित सावधानी बरतेगा।

<u>सूक्ष्म -बीमा एजेंटों द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का नियोजन</u>

6(1) सूक्ष्म -बीमा एजेंट विनियम 5 के उप-विनियम (3) में बताये गये सभी कार्यों अथवा उनमें से किसी भी कार्य का निष्पादन करने के प्रयोजन से बीमाकर्ता के पूर्व-अनुमोदन के साथ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का नियोजन करेगा।

बशर्ते कि कारपोरेट एजेंटों, बीमा दलालों और ऐसे अन्य बीमा मध्यवर्तियों, जिन्हें बीमा व्यवसाय प्राप्त करते हुए सूक्ष्म बीमा व्यवसाय करने की भी अनुमति दी गई हो, का नियंत्रण समय-समय पर संशोधित तथा यथाप्रयोज्य विनियमों द्वारा होना जारी रहेगा।

(i) कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति जिसने सूक्ष्म -बीमा एजेंट की सेवा से त्यागपत्र दिया हो, अन्य सूक्ष्म -बीमा एजेंट के विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में पुनः नियुक्त किये जाने के लिए केवल त्यागपत्र की तारीख से 3 महीने समाप्त होने के बाद ही पात्र होगा।

(ii) कोई भी सूक्ष्म -बीमा एजेंट किसी अन्य सूक्ष्म -बीमा एजेंट के लिए कार्य करनेवाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।

(iii) कोई भी सूक्ष्म -बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता के साथ कार्य करनेवाले वैयक्तिक बीमा एजेंटों, किसी बीमाकर्ता के साथ कार्य करनेवाले कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा बीमा दलालों के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करेगा।

6(2) जहाँ सूक्ष्म -बीमा एजेंट किसी बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो, वहाँ वह विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करेगा।

सूक्ष्म -बीमा एजेंटों की आचरण-संहिता

7.(1) प्रत्येक सूक्ष्म -बीमा एजेंट और उसके द्वारा नियुक्त विनिर्दिष्ट व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया सम्बंधित समय-समय पर यथासंशोधित विनियम में निर्धारित आचरण संहिता तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण के संबंधित उपबंधों का पालन करेगा:

बशर्ते कि बीमाकर्ता प्रत्येक सूक्ष्म -बीमा एजेंट द्वारा उक्त आचरण-संहिता, विज्ञापनों और प्रकटीकरण संबंधी मानदंडोँ का पालन सुनिश्चित करेगा।

(2) सूक्ष्म -बीमा एजेंट द्वारा पूर्वोक्त आचरण-संहिता और/या विज्ञापन और प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में आचरण-संहिता और/या विज्ञापन अथवा प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों को भंग करने के लिए दंडात्मक परिणामों के अतिरिक्त उसकी नियुक्ति का समापन किया जाएगा।

सूक्ष्म बीमा उत्पाद की फाइलिंग

8.(1) प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण के पास सूक्ष्म -बीमा उत्पादों की फाइलिंग के संबंध में `फाइल एण्ड यूज़' प्रक्रिया के अधीन होगा।

(2) सूक्ष्म -बीमा के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रत्येक सूक्ष्म -बीमा उत्पाद सुस्पष्ट रूप से शीर्षक `सूक्ष्म -बीमा उत्पाद' को दर्शायेगा।

(3) इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के पास फाइल किये गये जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पाद इन विनियमों की अनुसूची-III के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अधीन होंगे।

सूक्ष्म -बीमा पॉलिसी संविदाओं का निर्गम

9.(1) प्रत्येक बीमाकर्ता वैयक्तिक सूक्ष्म -बीमा पॉलिसीधारक को बीमा संविदाएँ भारतीय संविधान में मान्यताप्राप्त भाषाओं में जारी करेगा जो सरल और पॉलिसीधारकों द्वारा आसानी से समझी जानेवाली हों।

बशर्ते कि जहाँ भारतीय संविधान में मान्यताप्राप्त भाषाओं में पॉलिसी संविदाएँ जारी करना संभव न हो, वहाँ बीमाकर्ता यथासंभव संबंधित उपयुक्त भाषा में पॉलिसी के विवरण के बारे में एक विस्तृत आलेख जारी करेगा।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता सामूहिक सूक्ष्म -बीमा पॉलिसीधारक को बीमा संविदाएँ समूह के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों का विवरण दर्शानेवाली अनुसूची के साथ एक अपरिवर्तनीय फार्म में जारी करेगा तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग प्रमाणपत्र भी जारी करेगा जो बीमे के प्रमाण के स्वरूप होगा, जिसमें बीमा

रक्षा की वैधता अवधि का विवरण, नामांकित व्यक्ति का नाम, तथा जोखिम अंकन करनेवाले कार्यालय और सेवाप्रदाता कार्यालय के पते होंगे जहाँ दोनों कार्यालय एक नहीं हों।

(3) विनियम 9(1) के उपबंधों के होते हुए भी, बीमाकर्ता आगे सूक्ष्म -बीमा पॉलिसीधारक को प्रेषित करने के लिए एक सादा ए-4 आकार के कागज पर पॉलिसी संविदा मुद्रित करने के लिए भी सूक्ष्म -बीमा एजेंटों को अनुमति दे सकते हैं। पॉलिसी स्टाम्प के भुगतान का साक्ष्य मुद्रित पॉलिसी दस्तावेज पर दर्शाया जा सकता है।

<u>जोखिम अंकन</u>

10. कोई भी बीमाकर्ता बीमा रक्षा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु किसी बीमा प्रस्ताव का जोखिम अंकन करने के लिए किसी सूक्ष्म -बीमा एजेंट अथवा किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं करेगा।

<u>क्षमता निर्माण</u>

11 (1) प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा विक्रय, पॉलिसीधारकों की सर्विसिंग और दावा प्रबंध के क्षेत्रों में सभी सूक्ष्म -बीमा एजेंटों और उनके विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को भारत के संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त भाषाओं में अपने खर्च पर और अपने नामित अधिकारी (अधिकारियों) के माध्यम से कम से कम पच्चीस घंटे का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

बशर्ते कि वे सूक्ष्म -बीमा एजेंट, जिन्हें इन विनियमों के विनियम 4(2) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को साधारण बीमा पॉलिसियों का वितरण करने के लिए नियुक्त किया जाता है, व्यवसाय की उन व्यवस्थाओं में जहाँ ऐसे सूक्ष्म -बीमा एजेंट नियुक्त है, बीमाकर्ता के खर्च पर 25 घंटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(2) विनियम 11(1) में उल्लिखित प्रशिक्षण के घंटों की संख्या के कम से कम आधे भाग के लिए करार करने की तारीख से तीन वर्ष की प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर बतौर पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में सूक्ष्म -बीमा एजेंटों को सूक्ष्म -बीमे की अंतर्निहित पॉलिसी में रक्षित आकस्मिक घटना के घटित होने की स्थिति में, जो उनकी जानकारी में हो, बीमाकर्ता को सूचित करने की उनकी बाध्यता से अवगत कराया जाएगा।

<u>पारिश्रमिक / कमीशन</u>

12 (1) बीमाकर्ता द्वारा सूक्ष्म -बीमा एजेंट को कमीशन सहित, विनियम 5 में दी गई रूपरेखा के अनुसार किये गये सभी कार्यों के लिए पारिश्रमिक अदा किया जा सकता है तथा वह इसके नीचे बताई गई सीमाओं से अधिक नहीं होगा :

(1) जीवन बीमा व्यवसाय के लिए :

एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ – एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत
गैर-एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ – प्रीमियम अदा करने की अवधि के सभी वर्षों के लिए प्रीमियम का बीस प्रतिशत

(2) साधारण बीमा व्यवसाय के लिए : प्रीमियम का पंद्रह प्रतिशत।

(2) जहाँ सूक्ष्म -बीमा एजेंट और बीमाकर्ता के बीच करार को जिस किसी भी कारण से समाप्त किया गया हो, वहाँ कोई भावी कमीशन/पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(3) सामूहिक बीमा उत्पादों के लिए बीमाकर्ता उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट रूप में समग्र सीमा के अधीन कमीशन तय कर सकता है।

(4) सूक्ष्म -बीमा उत्पादों के अंतर्गत सूक्ष्म -बीमा एजेंटों को छोड़कर अन्य [3][बीमा एजेंटों और] पंजीकृत बीमा मध्यवर्तियों को देय पारिश्रमिक संबंधित प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों/ समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 के उपबंधों के अनुसार होगा।

अधिनियम और विनियमों का अनुपालन

13 (1) प्रत्येक बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सूक्ष्म -बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी लेनदेन समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार हों।

विनियम 13(1) के उपबंधों के होने के बावजूद;

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013 के उपबंध इन विनियमों के अधीन अनुमोदित जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पादों पर लागू नहीं होंगे।

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व

14. (1) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सभी सूक्ष्म -बीमा पॉलिसियों को बीमाकर्ता द्वारा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जा सकता है।

(2) जहाँ सूक्ष्म -बीमा पॉलिसी ग्रामीण क्षेत्र में जारी की जाती है और सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत आती है, वहाँ ऐसी पॉलिसी को दोनों ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों के लिए पृथक् रूप से गणना में लिया जा सकता है।

3 - आईआरडीएआई शुद्धिपत्र अधिसूचना आईआरडीए/विनियम/6/96/2015 दिनांक 19 मई, 2015 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

शिकायतों / परिवादों पर कार्रवाई

15 (1) बीमाकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सूक्ष्म -बीमा एजेंट के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई और उनका निपटान शीघ्रता और तत्परता के साथ करे।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता सूक्ष्म -बीमा एजेंटों के विरुद्ध शिकायतों/परिवादों, यदि कोई हों, पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण को एक तिमाही रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण

16. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकरण किसी भी सूक्ष्म -बीमा एजेंट के कार्यालय और अभिलेखों का किसी भी समय निरीक्षण करवा सकता है।

सूचना का प्रस्तुतीकरण

17 प्रत्येक बीमाकर्ता सूक्ष्म -बीमा व्यवसाय के संबंध में सूचना उस रूप में और उस तरीके से तथा ऐसे ब्योरे के साथ प्रस्तुत करेगा जैसा कि समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जाएगा।

इन विनियमों के अंतर्गत सूक्ष्म -बीमा व्यवसाय संबंधी व्यावसायिक / दावों के आंकड़े प्रेषित करने के प्रयोजन के लिए राज्य] / केन्द्र सरकार की तथा किसी भी सरकार की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं संबंधी व्यावसायिक / दावों के आंकड़े शामिल नहीं किये जाएँगे।

कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार

18 इन विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोग अथवा अर्थनिर्णय में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जानेवाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची I (विनियम 2 (घ) देखें)

प्रवेश के समय अधिकतम आयु	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	रक्षा की अवधि अधिकतम	रक्षा की अवधि न्यूनतम	रक्षा की अधिकतम राशि	रक्षा का प्रकार
लागू नहीं	लागू नहीं	1 वर्ष	1 वर्ष	1,00,000 रुपये प्रति आस्ति/ रक्षा	निवासगृह और अंतर्वस्तुएँ, या पशुधन या साधन या उपकरण या अन्य नामों की आस्तियाँ या फसल बीमा – सभी जोखिमों के विरुद्ध

उत्पाद विशिष्ट	उत्पाद विशिष्ट	1 वर्ष	1 वर्ष	1,00,000 रुपये	स्वास्थ्य बीमा संविदा (वैयक्तिक)
उत्पाद विशिष्ट	उत्पाद विशिष्ट	1 वर्ष	1 वर्ष	2,50,000 रुपये	स्वास्थ्य बीमा संविदा (पारिवारिक/सामूहिक)
उत्पाद विशिष्ट	उत्पाद विशिष्ट	1 वर्ष	1 वर्ष	1,00,000 रुपये	वैयक्तिक दुर्घटना (व्यक्तिगत/पारिवारिक/ सामूहिक)

i. फसल बीमा के अंतर्गत [4][बीमित राशि] की अधिकतम सीमाओं की गणना प्रति मौसम / प्रति फसल के आधार पर की जानी चाहिए।

<u>अनुसूची II (विनियम 2(ङ) देखें)</u>

1. जीवन अथवा पेंशन अथवा स्वास्थ्य लाभ देनेवाले किसी बीमा उत्पाद के अंतर्गत बीमाकृत राशि 200000 रुपये की राशि से अधिक नहीं होगी।
2. असंबद्ध सममूल्येतर प्लेटफार्म के अंतर्गत सूक्ष्म परिवर्ती बीमा उत्पाद में वार्षिक प्रीमियम 6000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा।
3. वर्तमान विनियमों के उपबंधों के अनुसार वर्धित अनुवृद्धियाँ (एड-ऑन राइडर्स) प्रस्तावित की जा सकती हैं।
4. सूक्ष्म -बीमा योजनाओं का विपणन न्यूनतम 5 के समूह आकार से युक्त समूहों के लिए किया जाता है।

<u>अनुसूची-III (विनियम (8)(3) देखें)</u>

<u>जीवन सूक्ष्म -बीमा उत्पादों के लिए मानदंड:</u>

(I) फिलहाल प्रचलित किन्हीं अन्य विनियमों के उपबंधों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म -बीमा प्लेटफार्म के अंतर्गत प्रस्तावित जीवन, स्वास्थ्य और पेंशन उत्पाद निम्नलिखित के अधीन होंगे :

1. सूक्ष्म -बीमा उत्पाद लचीले प्रीमियम भुगतान विकल्पों की अनुमति दे सकते हैं ताकि पॉलिसीधारक प्रीमियमों का विप्रेषण निश्चयमात्रक किस्तों के खंडित भागों में कर सकें।

2. बीमाकर्ता सूक्ष्म -बीमा उत्पादों का प्रस्ताव यूनिट-सहबद्ध प्लेटफार्म के अंतर्गत नहीं करेंगे।

3. इस विनियम में स्पष्ट रूप से निश्चित उपबंधों को छोड़कर आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013, आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 और आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 के सभी अन्य उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (सूक्ष्म -बीमा) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित सूक्ष्म -बीमा उत्पादों पर लागू होंगे।

4 – आईआरडीएआई शुद्धिपत्र अधिसूचना आईआरडीए/विनियम/6/96/2015 दिनांक 19 मई, 2015 द्वारा शब्द 'प्रीमियम' को शब्द 'बीमित राशि' से प्रतिस्थापित किया गया।

4. नियमित प्रीमियम वाली विशुद्ध मीयादी/स्वास्थ्य पॉलिसी को छोड़कर जहाँ प्रीमियम एक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए प्राप्त किये जाते हैं, सभी असंबद्ध अपरिवर्ती सूक्ष्म -बीमा पॉलिसियों का किन्हीं अवस्थित या निहित बोनसों अथवा पॉलिसी के लिए उपचित हो चुकी गारंटीकृत वृद्धियों सहित, कम से कम अदा किये गये कुल प्रीमियमों का प्रदत्त मूल्य होगा। इस प्रकार का प्रदत्त मूल्य बोनसों अथवा गारंटीकृत वृद्धियों, यदि कोई हों, सहित परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर अथवा मृत्यु होने पर / रक्षित आकस्मिकता के घटित होने पर देय होगा।

5. असंबद्ध परिवर्ती बीमा पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाएँ होंगी :

i. अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के लिए पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से पाँच वर्ष की अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) होगी। यदि पॉलिसी अवरुद्धता अवधि के दौरान अभ्यर्पित की जाती है तो :
   1. अभ्यर्पण मूल्य केवल अवरुद्धता अवधि समाप्त होने के बाद ही देय होगा।
   2. बीमाकर्ता अभ्यर्पण के अनुरोध की तारीख से पॉलिसी खाते में कोई प्रभार नहीं लगाएगा।

ii. पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष पूरे होने के बाद बीमाकर्ता आंशिक आहरण की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि आंशिक आहरण के बाद पॉलिसी खाते में शेष राशि एक पूरे वर्ष के प्रीमियम से कम न हो।

iii. नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के संबंध में जीवन बीमाकर्ता समापन प्रभार लगाने के लिए पात्र है जो इसके नीचे `सारणी - क' के अंतर्गत उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे। कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

<u>सारणी – क</u>

सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के लिए लागू अधिकतम समापन प्रभार	जहाँ निम्न पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी समाप्त की गई हो
20% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 800 रुपये के अधीन	1
15% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 600 रुपये के अधीन	2
10% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 400 रुपये के अधीन	3
5% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 200 रुपये के अधीन	4
कुछ नहीं	5 और उससे आगे

iv. एकल प्रीमियम पॉलिसियों के संबंध में जीवन बीमाकर्ता समापन प्रभार लगाने के लिए पात्र है जो इसके नीचे `सारणी - ख' के अंतर्गत उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

<u>सारणी – ख</u>

सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के लिए लागू अधिकतम समापन प्रभार	जहाँ निम्न पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी समाप्त की गई हो
2% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 800/- रुपये के अधीन	1
1.5% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 600/- रुपये के अधीन	2
1% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 400/- रुपये के अधीन	3
0.5% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 200/- रुपये के अधीन	4
कुछ नहीं	5 और उससे आगे

*वा.प्री. – वार्षिकीकृत प्रीमियम
*ए.प्री. – एकल प्रीमियम

v. अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) के दौरान प्रीमियम देना बंद कर देने की स्थिति में:
   1. अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) की समाप्ति पर जीवन रक्षा तत्काल व्यपगत होगी।
   2. वैयक्तिक पॉलिसी खाता अवरुद्धता अवधि की समाप्ति अथवा पुनर्जीवन अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, तक किसी जीवन रक्षा के बिना संबंधित समाप्त पॉलिसी खाते के अंदर जारी रखा जाएगा।
   3. अवरुद्धता अवधि अथवा पुनर्जीवन अवधि के दौरान यदि पॉलिसी का पुनर्जीवन नहीं किया जाता, तो पॉलिसी को अवरुद्धता अवधि अथवा पुनर्जीवन अवधि, जो भी बाद में हो, की समाप्ति पर समाप्त किया जाएगा जो समापन प्रभार, यदि कोई हों, की वसूली के बाद वैयक्तिक पॉलिसी खाते में शेष राशि का भुगतान करते हुए किया जाएगा।
   4. अवरुद्धता अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में वैयक्तिक पॉलिसी खाते में शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
   5. समाप्त पॉलिसियों का पुनर्जीवन किये जाने पर जोखिम रक्षा को सभी प्राप्य और अदत्त प्रीमियम प्राप्त करने के बाद पुनर्जीवन की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई ब्याज अथवा शुल्क अथवा प्रभार लागू किये बिना पॉलिसी संविदा की शर्तों के अधीन पुनः चालू किया जाएगा।

vi. अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) के बाद प्रीमियम देना बंद कर देने की स्थिति में:
   1. वैयक्तिक पॉलिसी खाता पुनर्जीवन अवधि की समाप्ति तक जीवन रक्षा के साथ जारी रखा जाएगा।

2. यदि पॉलिसी का पुनर्जीवन किया जाता है, तो पॉलिसी संविदा की शर्तों के अधीन पुनर्जीवन की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई ब्याज अथवा शुल्क अथवा प्रभार लागू किये बिना सभी प्राप्य और अदत्त प्रीमियम प्राप्त करने के बाद पॉलिसी जीवन रक्षा के साथ जारी रहेगी।
3. यदि पुनर्जीवन अवधि के दौरान पॉलिसी का पुनर्जीवन नहीं किया जाता, तो अंतर्निहित पॉलिसी खाता मूल्य देय होगा।

vii. <u>सभी सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के लिए सकल प्रतिफल और निवल प्रतिफल के बीच अंतर:</u> पाँचवें पॉलिसी वर्ष दिवस से सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए प्रतिफल में अधिकतम कटौती निम्नांकित सारणी (ग) के अनुसार होगी।

<u>सारणी - ग</u>

प्रतिफल में अधिकतम कटौती (सकल और निवल प्रतिफल के बीच अंतर)(% प्रति वर्ष)	प्रारंभ से व्यतीत हुए वर्षों की संख्या
4.80%	5
4.50%	6
4.20%	7
4.00%	8
3.80%	9
3.60%	10
3.30%	11 और 12
3.00%	13 और 14
2.65%	15 और उसके बाद

(i) अवधि से युक्त पॉलिसियों के लिए परिपक्वता पर प्रतिफल में निवल कटौतीः
(1) 10 वर्ष से कम अथवा उसके समान अवधि के लिए 3.60% से अधिक नहीं होगी तथा
(2) 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 2.65% से अधिक नहीं होगी।

(II) कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियों के पॉलिसी खाते का जारी रहनाः
क) फिलहाल प्रचलित किन्हीं अन्य विनियमों के उपबंधों के होते हुए भी, पॉलिसी के समापन पर और समापन पॉलिसी खाता मूल्य की ऐसी आगम राशि के भुगतान के बाद जीवन बीमाकर्ता :
(1) अपने विवेक पर सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के अंतर्गत शून्य पॉलिसी खाता मूल्य के साथ पॉलिसी को जारी रखने का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं।
(2) बीमाकृत व्यक्ति को समाप्त पॉलिसी की शेष अवधि के दौरान किसी भी समय प्रीमियमों का भुगतान प्रारंभ करने और जीवन बीमा रक्षा की अनुमति दे सकते हैं।
(3) बीमाकृत व्यक्ति को पॉलिसी के प्रारंभ में अथवा पुनर्जीवन करने पर इस विकल्प का चयन करने की अनुमति दे सकते हैं।

(4) जीवन बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार पॉलिसी को जारी रखने के लिए परवर्ती अनुरोध प्राप्त होने पर शून्य पॉलिसी खाते में प्रीमियमों का भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।

(5) शून्य पॉलिसी खाता मूल्य पर पॉलिसी के रहते समय कोई प्रभार नहीं लगाएँगे तथा कोई जीवन बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं कराएँगे।

(6) जिन पॉलिसीधारकों ने पॉलिसी का अभ्यर्पण किया है, उन्हें शून्य पॉलिसी खाता मूल्य का विकल्प उपलब्ध नहीं कराएँगे।

(7) जारी रखा गया अथवा बाद में प्रत्यास्थापित किया गया शून्य शेष वाला पॉलिसी खाता अंतर्निहित पॉलिसी की शर्तों और बीमाकर्ता की जोखिम-अंकन नीति के अधीन तथा प्रारंभ की संशोधित तारीख के साथ इन विनियमों के अधीन होगा।

(8) यदि उत्पाद को हटा लिया जाता है, तो `शून्य पॉलिसी खाते' के प्रस्ताव को जारी रखने की अपेक्षा नहीं होगी।

(9) शून्य शेष वाले पॉलिसी खातों के अनुरक्षण के लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किये जाएँगे।

(10) कोई भी `शून्य शेष पॉलिसी खाते' वाली पॉलिसियाँ जीवन बीमाकर्ताओं की बहियों में विद्यमान नहीं मानी जाएँगी तथा इस प्रकार की पॉलिसियों को बहियों में केवल ऐसी तारीख से प्रीमियमों का पुनः प्रारंभ होने पर ही लिया जाएगा। `शून्य शेष पॉलिसी खाते' वाली पॉलिसियाँ बहियों में `पॉलिसियों की कुल संख्या' के लिए तब तक नहीं गिनी जाएँगी, जब तक कि इन पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम पुनः प्रारंभ नहीं किये जाते। इसके अतिरिक्त, प्रीमियमों के पुनः प्रारंभ होने पर ऐसी पॉलिसियाँ `नये व्यवसाय' के रूप में नहीं मानी जाएँगी।

(III) सूक्ष्म बीमा व्यवसाय को आईआरडीए (संबद्ध / असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियमों में निर्धारित आवश्यकतानुरूप लाभ निदर्शन और प्रकटीकरण के मानदंडों से छूट दी गई है।

(IV) सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसी खाता विवरण पॉलिसीधारकों को कम से कम वर्ष में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा।

(V) जीवन बीमाकर्ता सभी सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के संबंध में पॉलिसी दस्तावेज के साथ आवश्यकतानुरूप लाभ निदर्शन क्रमशः 4% और 8% के सकल निवेश प्रतिलाभों पर अथवा समय-समय पर आईआरडीए अथवा जीवन बीमा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में गारंटीकृत और अगारंटीकृत लाभ उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करेंगे।

(VI) सभी वर्तमान सूक्ष्म बीमा उत्पाद जो इन विनियमों के अनुसार नहीं हैं, 01 जनवरी, 2016 से हटाये जाएँगे।

टी. एस. विजयन
अध्यक्ष
[विज्ञापन.III/4/असा./161/14(331)]